आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
23/10/18	**दाखिल–खारिज पुनरीक्षण वाद सं0–51/2016–17** **अरूण कुमार** **बनाम गीता प्रसाद एवं अन्य** यह पुनरीक्षण वाद, दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–39/2014–15 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–03.02.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। इस वाद के पक्षकार निम्न प्रकार है। प्रथम पक्ष :– अरूण कुमार, पिता–स्व0 विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ग्राम–नासरीगंज, थाना–दानापुर, जिला–पटना वर्त्तमान पता–घर सं0–20, अविनाश नगर, बरखेड़ा पैठानी, बी0एस0ई0एल0, थाना–गोविन्दपुर, जिला–भोपाल(म0प्र0) द्वितीय पक्ष :– (1) गीता प्रसाद, पिता–स्व0 विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ग्राम–नासरीगंज, थाना–दानापुर, जिला–पटना। (2) सुषमा प्रसाद, पिता–स्व0 विश्वनाथ प्रसाद सिंह, ग्राम–धरहरा, पो0–बसुहार, थाना–पुनपुन जिला–पटना। इस न्यायालय में वाद की प्रविष्टी के पश्चात दिनांक–01.08.17 से आवेदक के द्वारा पैरवी करना छोड़ दिया गया। सुनवाई के लिए निर्धारित लगातार 7(सात) तिथि यथा 01.08.17, 16.09.17, 04.11.17, 23.12.17, 10.02.18, 03.04.18 एवं 22.05.18 को आवेदक उपस्थित नहीं हुए। दिनांक–22.05.18 को आवेदक को अंतिम मौका दिये जाने के बावजूद आवेदक उसके वाद की तिथि 03.07.18 एवं 25.08.18 को उपस्थित नहीं हुए। आवेदक आज भी अनुपस्थित है, जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को इस वाद के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस वाद में विपक्षी सं0–1 गीता प्रसाद के द्वारा उपस्थित हो कर प्रतिउत्तर दायर किया गया है।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	विपक्षी के विद्व अधिवक्ता को सुना। आवेदक के पुनरीक्षण आवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–39/14–15 में अंचलाधिकारी, दानापुर के दाखिल खारिज वाद सं0–1889/14–15 में दिनांक–14.10.14 के पारित आदेश को निरस्त करते हुए सभी वैध उत्तराधिकारियों को सुचित कर बिहार दाखिल–खारिज नियमावली–2012 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई कर जॉचोपरान्त कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है। सम्यक विचारोपरान्त में यह पाता है कि दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–39/14–15 में भुमि सुधार उप समाहर्त्ता, दानापुर के द्वारा दिनांक–03.02.2016 को पारित आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, पटना। अपर समाहर्त्ता, पटना।	